न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद, जिला कोटा

(5)

प्र0 न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
130/22	30.05.2022	11.02.2023

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

रमेशचन्द उर्फ कालू उर्फ काल्या पुत्र गेन्दीलाल जाति खाती निवासी जींद बाबा की बावडी रोजडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री भारत शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :–

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम सांगाहेडी तहसील दीगोद में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 43 की खसरा नम्बर 396/98 रकबा 0.32 है0 कुल किता 1 रकबा 0.32 है0 भूमि जिसमें वादी का नाम कालू दर्ज है। ग्राम सांगाहेडी की खाता संख्या 55 की ख0न0 102 रकबा 1.44 है0, 73 रकबा 0.15 है0, 89 रकबा 0.08 है0, 91 रकबा 1.08 है0, 92 रकबा 0.24 है0, कुल किता 5 रकबा 2.99 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादी का नाम काल्या दर्ज है। यह कि उपरोक्त आराजी में वादी का नाम कालु और काल्या दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम रमेशचन्द है। जिसमें वादी को सरकारी योजनाओं में किसान केडिड कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

यह कि उक्त वादी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, आदि में वादी का नाम रमेशचन्द है। वादी का नाम ग्राम सांगाहेडी की जमाबन्दी में खाता संख्या 43 में कालू और खाता संख्या 55 में काल्या दर्ज होने से सरकारी योजनाओं का लाभा व भूमि सुधार के लिये किसान केडिड कार्ड लेने से वंचित हो रहा है। यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा ग्राम सांगाहेडी की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रमेशचन्द के स्थान पर कालू और काल्या दर्ज कर दिया है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रमेशचन्द दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक हो गया है। इस संबंध में प्रतिवादी से दिनांक 12.02.2022 को निवेदन करने पर

Surendra
सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)

ने कोई ध्यान नही दिया और मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो ...ा है।

अतः वादी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगाहेडी तहसील दीगोद में वादी के शामालाती खाते में खाता संख्या 43 की खसरा नम्बर 396/98 रकबा 0.32 है0 कुल किता 1 रकबा 0.32 है0 भूमि जिसमें वादी का नाम कालू दर्ज है। ग्राम सांगाहेडी की खाता नम्बर 55 की ख0न0 102 रकबा 1.44 है0 , 73 रकबा 0.15 है0, 89 रकबा 0.08 है0, 91 रकबा 1.08 है0, 92 रकबा 0.24 है0, कुल किता 5 रकबा 2.99 है भूमि जिसमें वादी का नाम कालू और काल्या दर्ज है। वादी का नाम खाता संख्या 43 में कालू के स्थान एवं खाता संख्या 55 में काल्या के स्थान पर रमेशचन्द दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी का नाम उक्त भूमियों कालू व काल्या के स्थान पर रमेश चन्द उर्फ कालू उर्फ काल्या दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगाहेडी तहसील दीगोद में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 43 की खसरा नम्बर 396/98 रकबा 0.32 है0 कुल किता 1 रकबा 0.32 है0 तथा ग्राम सांगाहेडी की खाता नम्बर 55 की ख0न0 102 रकबा 1.44 है0 , 73 रकबा 0.15 है0, 89 रकबा 0.08 है0, 91 रकबा 1.08 है0, 92 रकबा 0.24 है0, कुल किता 5 रकबा 2.99 है भूमि में वादी का नाम कालू व काल्या के स्थान पर रमेशचन्द उर्फ कालू उर्फ काल्या दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद में सुनाया गया।

डिक्री मुकदमा
(आ0 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद जिला कोटा

उनवान

पीठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

रमेशचन्द उर्फ कालू उर्फ काल्या पुत्र गेन्दीलाल जाति खाती निवासी जींद बाबा की बावडी रोजडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री भारत शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगाहेडी तहसील दीगोद में वादी के शामलाती खाते में खाता संख्या 43 की खसरा नम्बर 396/98 रकबा 0.32 है0 कुल किता 1 रकबा 0.32 है0 तथा ग्राम सांगाहेडी की खाता नम्बर 55 की ख0न0 102 रकबा 1.44 है0 , 73 रकबा 0.15 है0, 89 रकबा 0.08 है0, 91 रकबा 1.08 है0, 92 रकबा 0.24 है0, कुल किता 5 रकबा 2.99 है भूमि में वादी का नाम कालू व काल्या के स्थान पर रमेशचन्द उर्फ कालू उर्फ काल्या दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है।तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 11.02.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प दीगोद में जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

सदस्य
... समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद, कोटा (राज.)